



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022025-261039
CG-DL-E-14022025-261039

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 769]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2025/माघ 24, 1946

No. 769]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2025/MAGHA 24, 1946

सङ्कक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2025

का.आ. 773(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्कक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1343(अ) तारीख 14/03/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में अहमदाबाद-बामणबोर-राजकोट NH47 के कि.मी. 7 से कि.मी.72.1 तक के भूखण्ड पर के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित २-लेन/४ लेन का बनाना आदि)), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "10/4/2024" को "संदेश" और "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में NH47 (अहमदाबाद -बामनबोर -राजकोट) कि.मी. 7 से कि.मी. 72.1 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: अहमदाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बावला					
गांव का नाम: भायला					
1	39	निजी	कृषि	0.0608	अशोक कुमार बुद्धिप्रसाद महेता, दिलीप कुमार बुद्धिप्रसाद महेता, प्रफुल्लकुमार बुद्धिप्रसाद महेता, राजेंद्र कुमार बुद्धिप्रसाद महेता
गांव का नाम: रोहिका					
2	403	निजी	गैर कृषि	0.0197	मोतीबेन रघुभाई सगरामभाई की विधवा पत्नी, वालजीभाई रघुभाई, जादवभाई रघुभाई, भरतभाई रघुभाई
गांव का नाम: बगोदरा					
3	197	निजी	कृषि	0.055	उमेदभाई हमीरभाई
4	199	निजी	कृषि	0.035	विक्रमभाई रणछोड़भाई के वाली जशुबेन रणछोड़भाई
गांव का नाम: मिठापुर					
5	14	निजी	कृषि	0.0042	गंगाबेन कानजीभाई, गगजीभाई कानजीभाई, खोड़ाभाई कानजीभाई, मोंगीबेन कानजीभाई, अर्जनभाई कानजीभाई, नानीबेन कानजीभाई
6	1857	निजी	कृषि	0.0973	रामजीभाई केशभाई, चंदूभाई केशभाई, रतनबेन केशभाई
7	1858	निजी	कृषि	0.0749	मनसुखभाई

					वाघजीभाई सांगणी, गोरघनभाई शामजीभाई काळ्डिया, हंसाबेन जीवराजभाई वसरामभाई अवैया की बेटी, वषविन मनसुखभाई सांगणी,, ज्योतिबेन गोरघनभाई काळ्डिया
8	1876	निजी	कृषि	0.0527	जादव अमृतभाई अर्जनभाई, जादव लाभुभाई अर्जनभाई, बाकुबेन अर्जनभाई, जनकबेन अर्जनभाई, बिपिनभाई अर्जनभाई
9	9	निजी	कृषि	0.0556	बाबूभाई गफुरभाई
गांव का नाम: बावला					
10	2108	निजी	कृषि	0.0382	द्वारकादास मणिलाल पटेल
11	4634	निजी	कृषि	0.0012	रामरंग शोभाराम चावला, सुरेश कुमार रामरंग चावला, सतीश कुमार रामरंग चावला, राजेश कुमार रामरंग चावला, जितेंद्र कुमार रामरंग चावला
12	4645	निजी	गैर कृषि	0.0513	रामजीभाई शिवदासभाई पटेल
13	4649	निजी	गैर कृषि	0.0032	श्री साईबाबा रामरोटी अन्नक्षेत्र बावला
14	4668	निजी	गैर कृषि	0.0121	कनैयालाल अमृतलाल
15	5023	निजी	गैर-कृषि	0.0176	चंदूलाल नरभेराम, राजेश कुमार चंदूलाल, विपुलकुमार चंदूलाल
16	8	निजी	कृषि	0.1289	बावला एजुकेशन सोसायटी, बावला
Total				0.7077	

[फा. सं. NHAI/BOT/DBFO-Ahmedabad/NH-8A&B/2013/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th February, 2025

S.O. 773(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No.1343(E) Dated:14/03/2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956)

(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.) Maintenance, management and operation of The AHMEDABAD-BAMANBOR-RAJKOT NH47 on the stretch of land from Km 7 to Km 72.1 (AHMEDABAD RAJKOT SECTION) in the district of AHMEDABAD in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “**sandesh**” and “*Times of India*” both dated 10/04/2024 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH47 (Ahmedabad-Bamanbor-Rajkot) in the stretch of land from Km. 7 to Km. 72.1 in the district of AHMEDABAD in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: AHMEDABAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bavla					
Village: Bhayla					
1	39	Private	AGRICULTURE	0.0608	Ashok Kumar Budhiprasad Maheta, Dilip Kumar Budhiprasad Maheta, Prafulkumar Budhiprasad Maheta, Rajendra Kumar Budhiprasad Maheta
Village: Rohika					
2	403	Private	NON- AGRICULTURE	0.0197	Motiben widow of Raghubhai

					Sagrabhai , Valjibhai Raghubhai , Jadavbhai Raghubhai , Bharatbhai Raghubhai
--	--	--	--	--	--

Village: Bagodara

3	197	Private	AGRICULTURE	0.055	Umedbhai Hamirbhai
4	199	Private	AGRICULTURE	0.035	Jashuben Ranchodhbhai guardian of Vikrambhai Ranchodhbhai,

Village: Mithapur

5	14	Private	AGRICULTURE	0.0042	Gangaben Kanjibhai, Gagajibhai Kanjibhai, Khodabhai Kanjibhai, Monghiben Kanjibhai, Arjanbhai Kanjibhai, Naniben Kanjibhai
6	1857	Private	AGRICULTURE	0.0973	Ramjibhai Keshubhai, Chandubhai Keshubhai, Ratanben Keshubhai
7	1858	Private	AGRICULTURE	0.0749	Mansukhbhai Waghjibhai Sangani, Gordhanbhai Shamjibhai Kachhdia, Hansaben Daughter of Jivarajbhai Vasrambhai Avaiya, Varshaben Mansukhbhai Sangani, Jyotiben Gordhanbhai Kachhdia
8	1876	Private	AGRICULTURE	0.0527	Jadav Amrutbhai Arjanbhai, Jadav Labhubhai Arjanbhai, Bakuben Arjanbhai, Janakben Arjanbhai, Bipinbhai Arjanbhai
9	9	Private	AGRICULTURE	0.0556	Babubhai Gafurbhai

Village: Bawala

10	2108	Private	AGRICULTURE	0.0382	Dwarkadas Manilal Patel
11	4634	Private	AGRICULTURE	0.0012	Ramrang Shobharam Chawla, Suresh Kumar Ramrang

					Chawla, Satish Kumar Ramrang Chawla, Rajesh Kumar Ramrang Chawla, Jitendra Kumar Ramrang Chawla
12	4645	Private	NON AGRICULTURE	0.0513	Ramjibhai Shivdasbhai Patel
13	4649	Private	NON AGRICULTURE	0.0032	Sri Saibaba Ramroti Annakshetra Bavla
14	4668	Private	NON AGRICULTURE	0.0121	Kanaiyalal Amrutlal
15	5023	Private	NON- AGRICULTURE	0.0176	Chandulal Narabheram, Rajesh Kumar Chandulal, Vipulkumar Chandulal
16	8	Private	Agriculture	0.1289	Bavla Education Society, Bavla
Total				0.7077	

[F. No. NHAI/BOT/DBFO-Ahmedabad/NH-8A&B/2013/3D]

ABHAY JAIN, Director